

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *129
उत्तर देने की तारीख 31 जुलाई, 2024

डाकघरों का आधुनिकीकरण

*129. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देशभर में डाकघरों की संख्या कितनी है और इन डाकघरों में कुल कितने बचत खाते हैं तथा खाताधारकों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;
- (ख) क्या संचार प्रणालियों का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी प्रमुख गांवों में डाकघर स्थापित कर दिए गए हैं;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या देश के सभी डाकघर आधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो आधुनिकीकरण के इन प्रयासों की विशिष्टताएं क्या हैं?

उत्तर

संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ङ.) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

जारी -----2/-

“डाकघरों का आधुनिकीकरण” विषय पर दिनांक 31 जुलाई, 2024 के लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. *129 के भाग (क) से (ड) के संबंध में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क) दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, देशभर में 1,64,987 डाकघर (प्रधान डाकघर, उप-डाकघर और शाखा डाकघर) हैं और इन डाकघरों में बचत खातों की कुल संख्या 7,50,63,197 है।

बचत खाताधारकों के लिए ऑटोमेटिड टेलर मशीन (एटीएम), चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, विभिन्न प्रकार के एसएमएस अलर्ट, जमा शेष और खाता विवरणी देखने के लिए ई-पासबुक की सुविधा के साथ-साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) के माध्यम से बैंक खाते से डाकघर खाते में तथा विलोमतः निधि अंतरित किए जाने एवं इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ईसीएस) की मदद से, ब्याज और परिपक्वता (मेच्योरिटी) राशि बैंक खाते में जमा करने और कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) के अंतर्गत इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस) की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) और (ग) देशभर के सभी गांवों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1,49,164 डाकघर (प्रधान डाकघर, उप-डाकघर और शाखा डाकघर) हैं।

(घ) और (ड.) देशभर के सभी विभागीय डाकघरों को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधुनिकीकरण परियोजना के तहत कम्प्यूटरीकृत कर नेटवर्क से जोड़ा गया है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे शाखा डाकघरों को डाक, वित्तीय और बीमा संबंधी लेन-देन कार्य ऑनलाइन रूप से करने के लिए सक्षम बनाने हेतु मोबाइल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
